

1991 की प्रतियां पेश की है एवं मुताबिक आदेश रकबा नहरी है एवं आदेशकृत आराजी में से कुछ आराजी नहरी दर्ज हो चुकी है एवं रकबा 2001 से पूर्व कमाण्ड है जिसमें अन्तर राशि का प्रावधान नहीं है, रकबा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955, के नियम 13 के तहत दी गयी अनुसूची में भी कमाण्ड क्षेत्र के तहत आता है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रकबा बाराणी दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है एवं रकबा सिंचित के सम्बन्ध में पटवारी हल्का व अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है एवं प्रार्थीगण के चाहे गये अनूतोष का रकबा नहरी है, एवं रकबा 2001 से पूर्व का नहरी होने के कारण अन्तर राशि का प्रावधान नहीं है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

क्रियात्मकआदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि— प्रार्थीगण के हक हिस्सा की "चक 32 पी टी पी प.न. 69/166 मु.न. 35 कि.न. 1, 10, 11 प्रतयेक में 0.253 है. बाराणी, व प.न. 68/166 मु.न. 36 कि.न. 5 में 0.228 है. बाराणी 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 6 में 0.228 है. बाराणी, 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 7 में 0.253 है. बाराणी, कि.न. 14 में 0.253 है. बाराणी, कि.न. 16 में 0.228 है. बाराणी, 0.025 है. गै.मु. रासता आराजी" में दर्ज बाराणी के स्थान पर "चक 32 पी टी पी प.न. 69/166 मु.न. 35 कि.न. 1, 10, 11 प्रतयेक में 0.253 है. नहरी, व प.न. 68/166 मु.न. 36 कि.न. 5 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 6 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रासता, कि.न. 7 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 14 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 16 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता आराजी" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



—Eam/19
19.11.2021
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर